संख्या-115/2024/2397/30-3-2024

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राजस्व पक्ष के अंतर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-687स0सु0/2023-08स0सु0/2021(Vol-3), दिनांक 03-06-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 के कार्यवृत्त के एजेण्डा बिन्दु संख्या-2 वर्ष 2024-25: प्रस्तावित राजस्व योजनाएं के अंतर्गत मद संख्या-42-अन्य व्यय में अनुमोदित धनराशि रू0 4350.25 लाख में से निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 2840.90 लाख (रू0 अठ्ठाईस करोड़ चालीस लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही तालिका के क्रमांक-(1)ड़ पर अंकित कार्य- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समस्त बसों में पीछे पूरे वर्ष सड़क सुरक्षा के विज्ञापन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 500.00 लाख को अग्रिम रूप से आहरित कर परिवहन निगम को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य	वर्ष 2024-25 हेतु समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	शासन द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
(1) क	**सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम** • प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रदेश के अंतर्गत समस्त थाना, ब्लॉक, तहसील, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला	1200.00	800.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	चिकित्सालय एवं सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में होर्डिंग, फोल्डर, राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय मेला/पर्व/ अन्तर्राष्ट्रीय/ प्रदेश स्तरीय ट्रेड शो द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित।		
(1) ख	• शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किये जाने हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार-प्रसार ➢ **प्रतियोगिताओं के माध्यम से**:- बेसिक/माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यालयों में ब्लाक/जिला/मण्ड/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं हेतु। ➢ **रोड सेफ्टी क्लबों हेतुः-** (क) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी के पत्र दिनांक 10.05.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार 2300 महाविद्यालयों में स्थापित क्लबों हेतु। (ख) शिक्षा निदेशक, माध्यमिक के पत्र दिनांक 10.05.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार 2373 माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित क्लबों हेतु।	495.03	495.03
(1) ग	• सड़क सुरक्षा सप्ताह/पखवाड़ा/माह के अंतर्गत संचालित सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता कार्यक्रमों हेतु।	366.00	366.00
(1) घ	अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति/ जिलाधिकारी के स्तर पर समस्त जनपदों में ब्लैक स्पॉट्स के सुधारों तथा दुर्घटना बाहुल्य स्थानों/क्षेत्रों पर चेतावनी/संकेतक बोर्ड लगाया जाने हेतु।	375.00	225.00
(1) ड़	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की समस्त बसों में पीछे पूरे वर्ष सड़क सुरक्षा के विज्ञापन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम	1000.00	500.00
(2)	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु	65.15	65.15
(3)	सड़क सुरक्षा कोष द्वारा पूर्व से निर्मित ऑटोमेटेड इकाइयों के संचालन व रख-रखाव पर व्ययः- • आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कानपुर नगर एवं बरेली हेतु।	223.00	133.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	• इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर, लखनऊ हेतु। • 05 डी0टी0टी0आई0- गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी एवं मथुरा में मारूति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड द्वारा निःशुल्क ऑटोमेशन के पश्चात संचालन एवं रख-रखाव हेतु।		
(4)	लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के कार्यालय एवं अन्य विविध व्यय हेतु ➢ कार्यालय व्यय ➢ 103 वाहनों के ईधन/रख-रखाव (12 पब्लिसिटी वैन, 72 इण्टरसेप्टर एवं 19 बोलेरो)	256.72	256.72
	योग -	3980.90	2840.90

नियम व शर्तें -

"क"

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294 /दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

"ख"

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो सरकार कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अवश्य कर दिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकर के पुस्तांकित ऑकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित करायेंगे।

(4) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिए शासन की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

(5) धनराशि के व्यय में सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्रावधान किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-174-X-2024-25, दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या-115/2024/2397/30-3-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(नितिन कुमार गुप्त)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in